पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी। इस संबंध में विवाह पंजीयन कर्ता शासकीय अधिकारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक के पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

1.8.2 "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

1.8.3 बिन्दु 1.8.1 1.8.2 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी। बिन्दु 1.8.1 से 1.8.2 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटै, बिन्दु 1.7.1 से 1.7.7 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी।

**1.9 बच्चे सम्बन्धी:**

कोई उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

**1.10** किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा |

**1.11 न्यूनतम शारीरिक अर्हताः** अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए:

| क्र. | पद | वर्ग | ऊंचाई | सीना | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आबकारी आरक्षक | पुरूष | 167.5 से.मी. | 81 से.मी. | 86 से.मी. |
| | | महिला | 152.4 से.मी. | लागू नहीं | |

(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सैमी का अन्तर होना आवश्यक हैं। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।)

नोटः- महिला उम्मीदवारों के लिये सीने की कोई माप का प्रावधान नहीं है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी को ऊँचाई मापदण्ड में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं चयन उपरांत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं होने पर चयन निरस्त किया जावेगा

1.11.1 अभ्यर्थी में नॉक-नी अथवा फ्लेट फुट एवं आँखों से संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए तथा अच्छी वायनाकुलर दृष्टि का अवश्य हो एवं आंख को टोपों (eylids) एवं आंख में पुतली की बीमारी से ग्रस्त न हो । मुख्य रंगो का भेद करने में उम्मीदवारों को सक्षम होना चाहिए एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं। परन्तु दिव्यांगजन अभ्यार्थीयों हेतु उक्त कंडिका1.11.1 लागू नहीं होगी।

नोट- (1) यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें।

(2) कर्मचारी चयन मण्डल से प्राप्त चयन सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदण्ड आबकारी आयुक्त द्वारा गठित समिति के द्वारा की जावेगी।

(3) चयन प्रक्रिया के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जावेगा। जो उम्मीदवार आबकारी आरक्षक के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जायेंगे उन्हे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(4) न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। शारीरिक अर्हताओं में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जावेगी ।

(5) प्रक्रिया के अन्त में निराशा से बचने के लिये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं के बारे में सिविल सर्जन से नाप जोख की पुष्टि कर लें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें।

**1.12 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं:**

| क्र. | पदनाम | शैक्षणिक अर्हताएँ |
|---|---|---|
| 1 | आबकारी आरक्षक | 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 12 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण |

1.12.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो

# संशोधित पृष्ठ

1.11.1 अभ्यर्थी में नॉक-नी अथवा फ्लेट फुट एवं आँखों से संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए तथा अच्छी वायनाकुलर दृष्टि का अवश्य हो एवं आंख को टोपों (eylids) एवं आंख में पुतली की बीमारी से ग्रस्त न हो । मुख्य रंगोका भेद करने में उम्मीदवारों को सक्षम होना चाहिए एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं। परन्तु दिव्यांगजन अभ्यार्थीयो हेतु उक्त कंडिका 1.11.1 लागू नही होगी।

नोट- (1) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें।

(2) कर्मचारी चयन मण्डल से प्राप्त चयन सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदण्ड आबकारी आयुक्त द्वारा गठित समिति के द्वारा की जावेगी।

(3) चयन प्रक्रिया के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जावेगा। जो उम्मीदवार आबकारी आरक्षक के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जायेंगे उन्हे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ।

(4) न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। शारीरिक अर्हताओं में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जावेगी ।

(5) प्रक्रिया के अन्त में निराशा से बचने के लिये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं के बारे में सिविल सर्जन से नाप जोख की पुष्टि कर लें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें।

**1.12 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं:**

| क्र. | पदनाम | शैक्षणिक अर्हताएँ |
|---|---|---|
| 1 | आबकारी आरक्षक | 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 12 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण |

1.12.1 **शैक्षणिक योग्यता में छूट** - शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/ चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हो जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.12.2 निर्धारित समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, उदाहरण के लिये यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठा है और उसके पास हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रमाण पत्र जो ऑन लाईन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक के पश्चात जारी किये गये हैं उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा एवं अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।